52

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1379/एक/2012 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 9–1–2012 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार, वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना – प्रकरण क्रमांक 19 अ–12/2010–11

रामचन्द्र त्रिपाठी पुत्र रामनाथ त्रिपाठी
ग्राम वाल्हा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना ———आवेदक

विरूद्व

1– उर्मिला प्रसाद त्रिपाठी पुत्र बृजकिशोर त्रिपाठी
ग्राम वाल्हा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना
2– म0प्र0शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामनरेश मिश्रा)
(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 10 – 07 –2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 19 अ–12/2010–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9–1–12 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्र–1 ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 173/1 क एंव 195/1 क स्थित ग्राम रईया के सीमांकन का आवेदन दिया , जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर ने प्रकरण क्र0 19 अ–12/ 10–11 पॅजीबद्व किया तथा

राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतवारा को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 26-1-11 को सीमांकन कार्य किया है तथा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 29-1-11 प्रस्तुत किया, जिस पर से नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना ने आदेश दिनांक 9-1-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक क्र-1 के घर पर बैठकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। इस प्रकार के सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे।

अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक ने समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की है ग्रामवासियों के की उपस्थिति में सीमांकन कार्य किया है तथा स्थल पर पंचनामा बनाया है । जिसके कारण राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही को सही पाते हुये नायव तहसीलदार ने सीमांकन आदेश पारित किया है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि सीमांकन के पूर्व आपत्तिकर्ता (आवेदक) को राजस्व निरीक्षक ने व्यक्तिगत सूचना दी है एंव सूचना पत्र पर उसके हस्ताक्षर भी है। नायव तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता को सुना है । भूमि सर्वे क0

173/1 क एंव 195/1 क स्थित ग्राम रईया का अनावेदक कमांक–1 रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण उसके स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का ई0टी0एस0एम0 से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमांक 19 अ–12/2010–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9–1–12 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती हे एंव नायव तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील विरसिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमांक 19 अ–12/2010–11 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9–1–12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर